

## आधार प्रविष्टि एवं प्रमाणीकरण के लिए स्वीकृति फार्म

शाखा प्रबंधक

दिनांक:

बैंक.....

शाखा.....

.....

.....

प्रिय महोदय/महोदया,

**मेरे/हमारे नाम पर बैंक खाता सं.**

**खाते को आधार / यूआईडी संख्या के साथ लिंक करना और यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण.**

आपकी शाखा (शाखा का नाम..... ) में मेरा / हमारा बचत / चालू / वीकेसीसी खाता संख्या .....चल रहा है.

मैं/हम अपनी आधार संख्या/ओं को प्रस्तुत कर रहे हैं तथा स्वैच्छिक रूप से मैं / हम अपने उपर्युक्त खाता संख्या में मेरे / हमारे आधार संख्या/ओं की प्रविष्टि तथा यूआईडीएआई से प्रमाणीकरण हेतु सहमति प्रदान करते हैं: (टिक मार्क के माध्यम से उचित अनुरोध का चयन करें).

- केवल गैर लेन-देन उद्देश्यों हेतु (केवायसी के रूप में)
- मुझे/हमें भारत सरकार से मेरे/ हमारे उपर्युक्त खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करने में सहायता हेतु एनपीसीआई में मैपिंग तथा मेरे आधार नंबर को यूआईडीएआई के साथ प्रमाणित करने के लिए. मैं / हम समझते हैं कि यदि मुझे / हमें एक से अधिक अंतरण लाभ मिलता है तो, मुझे / हमें मिलने वाले सभी अंतरण लाभ इसी खाते में प्राप्त होंगे.
- मेरे / हमारे खाता -----(बैंक का नाम) से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ खोले गए उपर्युक्त खाते (डीबीटी लाभ की राशि की प्राप्ति हेतु) की एनपीसीआई मैपिंग में परिवर्तन के लिए
- एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) और आधार प्रमाणीकरण समर्थित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए.

आधार / यूआईडी विवरण निम्नानुसार है:

आधार / यूआईडी संख्या.....

आधार धारक का नाम जैसा आधार कार्ड पर हो. ....

उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी/ हमारी पूर्ण जानकारी और समझ के अनुसार सत्य है. मैं / हम यह समझता / समझती हूं कि मेरे / हमारे द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई सूचना का उपयोग उपर्युक्त उल्लिखित उद्देश्यों, अथवा विधि की आवश्यकताओं के अलावा अन्य कहीं उपयोग नहीं होगा. मैं / हम यह भी समझता / समझती हूं कि यदि पूर्व बैंक में पीएमजेडीवाय अतिदेय बकाया शेष रहता है तो डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले बैंक से एनपीसीआई मैपिंग को नहीं बदला जाएगा.

भवदीय,

**(खाता धारक/कों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**

नाम: .....

मोबाइल नं. ....

ई-मेल .....

संलग्नक: आधार पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति

**बैंक खाते में आधार नंबर की प्रविष्टि / लिंकिंग की पुष्टि**

श्री/ श्रीमती ----- के खाता संख्या ----- (बैंक) -----

----- शाखा ----- को आधार सं. -----

से डीबीटी एवं एईपीएस दोनों / केवल एईपीएस / गैर लेन-देन उद्देश्य (केवायसी के रूप में) के लिए लिंक कर दिया गया है.

शाखा:

दिनांक:

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी)